HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1298/2026

Kailash Puniya S/o Ram Chandra, Aged About 18 Years, Resident Of Ramdev Nagar, Chimana, Police Station Chakhu, District Phalodi, Rajasthan (At Present Lodged In Sub Jail Phalodi)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through PP
2. Bhoma Ram S/o Maga Ram Jat, Resident Ramdevpura, Bhojasar, Phalodi.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Shiv Singh Mr. Vijay Kumar Gaur
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Mahipal Singh

---

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

25/02/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना भोजासर, जिला फलोदी** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 126/2025,** अपराध अन्तर्गत धारा **137(2), भारतीय न्याय संहिता व धारा 11/12, 16/17 पॉक्सो अधिनियम** के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आरोप है कि उसने अपने साथी अभियुक्त अशोक के साथ नाबालिग पीड़िता का अपहरण किया और बाद में सहअभियुक्त अशोक पीड़िता को कहीं लेकर चला गया। उनका तर्क है कि पीड़िता दस्तयाब नहीं हुई है। पीड़िता व सहअभियुक्त

अशोक अपनी मर्जी से कहीं रह रहे हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ केवल मात्र सहअभियुक्त अशोक की सहायता करने का आरोप है। अब तक हुए अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता व पॉक्सो अधि ानियम की धारा 137(2) व 11/12, 16/17 के दंडनीय अपराध का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 05.01.2026 को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त 18 वर्षीय नवयुवक है, जेल में रहने से उसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। चूंकि पीड़िता दस्तयाब नहीं हुई है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक व अधिवक्ता परिवादी ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। प्रकरण में अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि इस मामले में पीड़िता मुख्य अभियुक्त अशोक के साथ कहीं रह रही है, वह अभी दस्तयाब नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आरोप यह है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने मित्र अशोक की सहायता पीड़ता को घर से ले जाने में की है। प्रार्थी/अभियुक्त 18 वर्षीय नवयुवक है, जिसके अभिरक्षा में रहने से उसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में प्राथी/अभियुक्त से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रकरण के अन्वेषण व विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना

हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **कैलाश पूनिया पुत्र रामचन्द्र** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 126/2025 पुलिस थाना भोजासर, जिला फलोदी** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **50,000/–रुपए (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **25,000–25,000/– (अक्षरे रुपये पच्चीस–पच्चीस हजार मात्र)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा प्रार्थी/अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उन्हें अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J

11-Nitin Jagtiani/-